

प्ररूप 26  
(नियम 4क देखिए)



२८, भगवानपुर (अनु० जाति) (निर्वाचन क्षेत्र से)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटनिंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, सुरेन्द्र राकेश पुत्र/पुत्री/पत्नी कली राम राकेश  
आयु ४५ वर्ष, जो ग्राम- भगवानपुर, त- रुड़की (हरिडार)  
का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिराक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जासूसकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं शून्य

(ii) पुलिस थाना (थाने) शून्य जिला (जिले) शून्य राज्य शून्य

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है शून्य

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई शून्य

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था शून्य

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं शून्य

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं

✓ सुरेन्द्र-राकेश

निर्वाचन क्षेत्र का नाम  
दिनांक  
08/11/20  
Notary Public in India  
Desi Notary (U.K.)

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :-

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं..... \* शून्य
- (ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है..... \* शून्य
- (iii) पुलिस थाना (थाने)..... \* शून्य जिला (जिले) \* शून्य  
..... \* शून्य राज्य \* शून्य
- (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है..... \* शून्य
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे..... \* शून्य
- (vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं..... \* शून्य

स्थान भागवानपुर  
तारीख ६-१-२०१२

SR-521620  
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूं कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

SR-521620 स्थान पर आज तारीख 08/1/12 को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिये जायें।

IDENTIFIED BY

Amit Kumar Maheshwari  
Advocate  
Reg. No. U.K. 170/2011  
Civil Court, Roorkee (Haridwar)

VERIFIED & ATTESTED

(S. K. MAHESHWARI)  
Advocate & Notary Public  
R.N. 42 (512016, C)  
for Roorkee Distt. H.

SR No. 66  
TIME 9:10 A.M./P.M.

भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये  
रु.10



TEN  
RUPEES  
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL



TARAKHAND

12AA 154454

शपथ पत्र

रिटनिंग आफिसर  
रत, भगवानपुर (अनु० जाति)



सुरेन्द्र राकेश  
श. श्री कलेशम राकेश  
वि० ग्राम - भगवानपुर त० कड़की (हरिहर)

सुरेन्द्र राकेश